न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अम्बेडकर नगर।

UPAN010010272026

Criminal Misc. Cases/48/2026

सजय कुमार बनाम दुर्गा प्रसाद तिवारी व 4 अन्य

26.03.2026

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत् धारा–173(4) बी.एन.एस.एस पर उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. संक्षेप में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी संजय कुमार पुत्र श्री तुलसीराम निवासी ग्राम समसुद्दीनपुर, थाना को0 टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर का स्थायी निवासी है। प्रार्थी मजदूरी करने हेतु अमरावती के मकान में किराये पर संघतिया छवनियां शहजादपुर थाना को० अकबरपुर अम्बेडकरनगर में रहता है। प्रार्थी ने एल एण्ड टी लिमिटेड फाइनेन्स कम्पनी से टी०वी०एस० रेडॉन मोटरसाइकिल फाइनेन्स करा कर किस्तो पर लिया था। प्रार्थी अपनी बराबर किस्त समय पर देता था, कम्पनी के एजेण्ट दुर्गाप्रसाद तिवारी पुत्र अज्ञात व केसरी प्रसाद तिवारी पुत्र अज्ञात निवासीगण अज्ञात, प्रार्थी के कमरे पर आकर बराबर किस्त समय पर ले जाते थे, परन्तु विपक्षीगण एक राय होकर सोची समझी प्लान के तहत षडयन्त्र करके उपरोक्त एजेण्टों ने प्रार्थी की किस्त कम्पनी में जमा नहीं करते थे और न ही प्रार्थी को कोई रसीद या बाउचर देते थे। प्रार्थी रसीद व वाउचर मांगता था तो उक्त एजेण्टों द्वारा कहा जाता था कि आपका पैसा कम्पनी में हम लोग जमा करते हैं यदि आपको भरोसा न हो तो कम्पनी में चल कर देख लो। प्रार्थी ने अपनी गाड़ी का सम्पूर्ण किस्त जमा करने के पश्चात भी दिनांक 04–12–2025 को समय लगभग 2:00 बजे दिन में प्रार्थी गौहन्ना बाईपास से जा रहा था कि रास्ते में धीरज सिंह व कुन्दन पटेल और दो अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात रूकवा कर प्रार्थी की उपरोक्त मोटरसाइकिल UP-45-AH 4336 छीन लिये और कहे कि आपकी गाड़ी का कोई किस्त जमा नहीं है। प्रार्थी उक्त फाइनेन्स कम्पनी के एजेण्ट से काफी अनुनय विनय किया, परन्तु नहीं माने और प्रार्थी की गाड़ी लेकर चले गये। प्रार्थी ने उपरोक्त फाइनेन्स कम्पनी में जाकर पता किया तो प्रार्थी का कोई भी किस्त विपक्षीगण द्वारा जमा नहीं किया गया है, तब से प्रार्थी कम्पनी के एजेण्टों से फोन पर बात किया तो उक्त विपक्षीगण प्रार्थी को गौहन्ना बाईपास पर बुलाए और जब प्रार्थी उनसे मिला और अपनी किस्त के बारे में पूछा तो उक्त विपक्षीगण प्रार्थी को जाति सूचक शब्दो से मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए डांट कर भगा दिये और कहे कि यदि दोबारा हम लोगों के पास आओगे तो जान से मरवा देगे तब से प्रार्थी काफी हैरान व परेशान है। प्रार्थी ने तत्काल थाना कोतवाली अकबरपुर में

Digitally signed by BHARTENDU PRAKASH GUPTA
Date: 2026.03.26 15:43:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जाकर घटना की सूचना दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। प्रार्थी ने दिनांक 07–01–2026 को पुलिस अधीक्षक महोदय अम्बेडकर नगर को जरिये रजिस्ट्री डाक से प्रार्थना पत्र दिया, किन्तु वहां से भी कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी मजबूर होकर श्रीमान जी के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विपक्षीगण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली अकबरपुर को आदेशित करने की कृपा की जावे।

3. उपरोक्त के संबंध में संबंधित थाने से आख्या आहूत किया गया। थाना की आख्या के अनुसार थाना स्थानीय पर कोई मुकदमा इस संबंध में पंजीकृत नहीं है।

4. प्रस्तुत मामले में आवेदक का कथन है कि उसने एक मोटरसाइकिल एल एण्ट टी से फाइनेंस कराकर खरीद था, जिसकी किस्ते वह नियमित रूप से कंपनी के एजेंटों को नकद देता था। इन एजेंटों ने उसका पैसा कंपनी में जमा नहीं किया और मांगने पर रसीद या वाउचर भी उपलब्ध नहीं कराए, बल्कि विश्वास दिलाया कि पैसा सुरक्षित है और मोटरसाइकिल की समस्त किस्तें चुकाने के बावजूद, 4 दिसंबर 2025 को जब वह गौहन्ना बाईपास से गुजर रहा था, तब धीरज सिंह, कुंदन पटेल और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने उसे रास्ते में रोककर जबरन उसकी मोटरसाइकिल छीन ली, जिसका उन्होंने यह तर्क दिया कि गाड़ी की किस्तें बकाया हैं। जब आवेदक इस संबंध में एजेंटों से संपर्क किया और गौहन्ना बाईपास पर उनसे मिला, तो विपक्षीगणों ने उसे अपमानित किया और उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मां–बहन की भद्दी गालियां दीं और डांटकर भगा दिया और दुबारा आने पर जान से मारने की धमकी दिये।

5. मामले में देखा जाये तो पक्षों के मध्य मोटरसाइकिल की किस्त के रूपयों के लेददेन का विवाद है। आवेदक का कहना है कि उसने फाइनेंस कम्पनी के एजेंटों को किस्त का पैसा दिया जो उन्होंने कथित फाइनेंस कम्पनी में जमा नहीं किया और यह भी कथन किया है कि जब उसने फाइनेंस कम्पनी में जाकर पता किया तो उसका कोई रूपया किस्त का जमा नहीं था, किन्तु यदि प्रार्थना पत्र में उलिखित कथनों को देखा जाए तो आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र यह कहीं भी यह उल्लिखित नहीं किया गया है कि उसने कितना रूपया एजेंटों को किस्तों के रूप में दिया और कितना रूपया उसका बकाया रह गया। इस प्रकार आवेदक का यह कहना कि वह लंबे समय तक बिना किसी रसीद या वाउचर के एजेंटों को नकद किस्तें देता रहा, एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति के व्यवहार के विपरीत है। कानूनन, भुगतान का बोझ (Burden of Proof) भुगतान करने वाले पर होता है। आवेदक द्वारा दो अन्य अज्ञात व्यक्ति और एजेंटों के अज्ञात पिता एवं निवास स्थान का उल्लेख यह दर्शाता है कि आवेदक के पास ठोस जानकारी का अभाव है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में स्पष्ट किया है कि यदि मामला लेनदेन या अनुबंध (Contract) से जुड़ा है, तो उसे आपराधिक रंग

(Criminal Color) नहीं दिया जाना चाहिए। वर्तमान मामला मोटरसाइकिल फाइनेंस के अनुबंध से संबंधित एक दीवानी विवाद (Civil Dispute) है। आवेदक ने भुगतान का कोई वैध साक्ष्य (रसीद) प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि आवदेक द्वारा दबाव बनाने के उद्देश्य से आपराधिक मामला दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि न्याय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस प्रकार थाने की आख्यानुसार थाना स्थानीय पर इस संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Sri Gulam Mustafa vs The State Of Karnataka 2023 SCC Online SC 603** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "36. What is evincible from the extant case-law is that this Court has been consistent in interfering in such matters where purely civil disputes, more often than not, relating to land and/or money are given the colour of criminality, only for the purposes of exerting extra-judicial pressure on the party concerned, which, we reiterate, is nothing but abuse of the process of the court." इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि दीवानी प्रकृति के वाद को मात्र आपराधिक रंग देने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना दर्शित है। यह मामला किस्तों के भुगतान या रिकवरी से जुड़ा है, जोकि विशुद्ध रूप से एक सिविल विवाद है, जिसके लिए सिविल कोर्ट या मध्यस्थता (Arbitration) का विकल्प खुला है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य नहीं है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्तानुसार निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–26.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
अम्बेडकर नगर
जे.ओ.कोड–यू.पी.1874